राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(6)वित्त–1(1)आ.व्य./2025 जयपुर, दिनांक 25 जुलाई, 2026

परिपत्र

विषयः–बजट प्रावधानों के अनुरूप व्यय की समीक्षा एवं वर्ष के दौरान व्यय का प्रवाह समान रूप से रखने के संबंध में।

इस विभाग के पूर्व परिपत्रसंख्या 5/2013 दिनांक 08.04.2013, संख्या 8/2014 दिनांक 25.08.2014, संख्या 7/2015 दिनांक 20.04.2015, संख्या 5/2016 दिनांक 25.04.2016, संख्या 9/2017 दिनांक 19.12.2017, संख्या 10/2021 दिनांक 29.09.2021 एवं संख्या 08/2023 दिनांक 01.09.2023 द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही राशि व्यय करें एवं अतिरेक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) में उल्लेख किया जाता रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा बजट मैन्युअल के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है यथा–कतिपय विभागों द्वारा अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान स्वीकृत करवाया गया क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से भी कम रहा, अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग स्वीकृत करवाये गये किन्तु वे अपर्याप्त/अत्यधिक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुए, स्वीकृत कराये गये बजट से अत्यधिक राशि बचत रही एवं बचतों को समय पर समर्पित नहीं किया गया एवं व्यय का प्रवाह वर्ष पर्यन्त समान रूप से रखने की बजाय वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय किया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि:–

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक मांग स्वीकृत नहीं करवायें।

(ii) स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की सुदृढ़ व्यवस्था करें।

(iii) अनावश्यक बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं करवायें जिससे बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो एवं बचतों को समय पर समर्पित किया जावे।

(iv) अनावश्यक पुनर्विनियोजन नहीं करवाया जावे।

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

(v) प्रत्येक त्रैमास के व्यय की समीक्षा करते हुए वर्ष के दौरान व्यय का प्रवाह समान रूप से रखने का प्रयास किया जावे जिससे वर्ष के अन्तिम त्रैमास में अत्यधिक व्यय नहीं हो।

(vi) माह मार्च में अनावश्यक निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तांतरित नहीं करवाई जावे।

इस संबंध में कृपया बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—I &II/लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)/बजट नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[08 /2026]